एस.एस. सरोन और अमोल रतन सिंह जज. के समक्ष

सुरेश-अपीलकर्ता बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य - प्रतिवादी

2015 का एलपीए संख्या 1105

20 नवंबर 2015

पत्र पेटेंट अपील, खंड एस्टॉपेल लागू होता है - उम्मीदवार प्रॉस्पेक्टस के आधार पर संस्थान द्वारा संचालित पशु चिकित्सा और पशुधन विकास डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए उपस्थित हुए - विश्वविद्यालय ने रोल नंबर जारी किए और इसने कोई आपत्ति नहीं उठाई कि अपीलकर्ता इस आधार पर प्रवेश के लिए अयोग्य थे कि उन्होंने ऐसा नहीं किया था उनकी मैट्रिक परीक्षा में न्यूनतम 65% अंक हैं - इस प्रकार, उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति देने से पहले पात्रता मानदंडों की पूरी तरह से जांच करना विश्वविद्यालय का कर्तव्य है और ऐसा नहीं करने पर अब यह कहना बंद कर दिया जाता है कि वे अयोग्य हैं।

माना गया कि गुरु नानक देव विश्वविद्यालय बनाम संजय कुमार कटवाल, (2009) 1 एससीसी 610 में, उक्त मामले में प्रतिवादी को एक सामान्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से तीन साल के एलएलबी पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया था और पहले सेमेस्टर की परीक्षा देने की अनुमति दी गई थी। वह किसी भी तथ्य को दबाने या गलत तरीके से पेश करने का दोषी नहीं था। अपीलकर्ता विश्वविद्यालय के साथ इस बात को लेकर कुछ भ्रम था कि प्रतिवादी के पास मौजूद डिग्री अपीलकर्ता द्वारा मान्यता प्राप्त है या नहीं। प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा देने के बाद ही प्रतिवादी को सूचित किया गया कि वह पात्र नहीं है। हालाँकि, उन्हें पाठ्यक्रम जारी रखने और पूरा करने की अनुमति दी गई थी। वह इस न्यायालय के समक्ष सफल हो गया था और यह माना

गया था कि अब चार साल की समाप्ति के बाद, उसे प्रवेश के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता है।

(पैरा 53)

राजबीर सहरावत, अधिवक्ता

2015 के एलपीए नंबर 1102 और 1104 से 1107 में अपीलकर्ताओं के लिए।

दीपक गिरहोत्रा, अधिवक्ता

2015 के एलपीए नंबर 1105 में अपीलकर्ता नंबर 2-भरत शर्मा के लिए।

आशीष अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, नीति गुप्ता, अधिवक्ता

अपीलकर्ताओं के लिए (2015 का एलपीए 1145)

दिनेश रावत, अधिवक्ता

2015 के एलपीए संख्या 1098, 1099 और 1591 में अपीलकर्ताओं के लिए।

अंकित ग्रेवाल, अधिवक्ता

2015 के एलपीए संख्या 1159 में अपीलकर्ताओं के लिए।

एस.एस.मोर, अधिवक्ता

2015 के एलपीए नंबर 1675 में अपीलकर्ता के लिए।

पवन गिरधर, अति. सभी एलपीए में प्रतिवादी नंबर 1 के लिए महाधिवक्ता, हरियाणा।

डी.एस.रावत, अधिवक्ता

सभी एलपीए में प्रतिवादी नंबर 2 के लिए।

एस.एस. सरोन, जे.

(1) यह अपील 2015 के एलपीए नंबर 1098, 1099, 1102, 1104 से 1107, 1145, 1159, 1591 और 1675 का निपटान करेगी क्योंकि ये विद्वान एकल द्वारा पारित दिनांक 16.5.2015 के उसी निर्णय और आदेश से उत्पन्न हुए हैं। 2014 के सीडब्ल्यूपी संख्या 6784 में न्यायाधीश के अनुसरण में, उक्त याचिका और अन्य संबंधित रिट याचिकाएं खारिज कर दी गईं। तथ्य 2015 के एलपीए नंबर 1105 से लिए गए हैं।

(2) अपीलकर्ता इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी एजुकेशन एंड रिसर्च, बहु अकबरपुर, रोहतक ('इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट' - संक्षेप में) के छात्र हैं, जिसका प्रबंधन जन शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट, रोहतक ('ट्रस्ट' - संक्षेप में) द्वारा किया जाता है। इस न्यायालय में दायर की गई अपनी-अपनी याचिकाओं में उन्होंने पशु चिकित्सा और शिक्षा प्रदान करने वाले निजी कॉलेजों की स्थापना के संबंध में हरियाणा सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक की दिनांक 16.1.2014 की कार्यवाही को रद्द करने और रद्द करने की मांग की। पशुधन विकास डिप्लोमा कोर्स (संक्षेप में 'वीएलडी डिप्लोमा कोर्स')। जिसके द्वारा उन्हें दूसरे/अंतिम वर्ष की परीक्षा देने से रोक दिया गया, जबकि 2015 के एलपीए नंबर 1159 में अपीलकर्ताओं और प्रथम वर्ष के अन्य लोगों को उक्त दो साल के वीएलडी डिप्लोमा कोर्स के पहले वर्ष में उपस्थित होने से रोक दिया गया था, जिसे आयोजित किया जाना था। पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार ('लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय' - संक्षेप में) द्वारा ।

2015 के एलपीए संख्या 1159 के अपीलकर्ताओं और प्रथम वर्ष के अन्य अपीलकर्ताओं के अलावा अपीलकर्ताओं द्वारा की गई एक और प्रार्थना, उन्हें 16.4.2014 से आयोजित होने वाली दूसरे/अंतिम वर्ष की परीक्षा में बैठने की अनुमति देने के लिए थी, जबकि 2015 के

एलपीए नंबर 1159 और प्रथम वर्ष के अन्य अपीलकर्ताओं को वीएलडी डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष की परीक्षा में बैठने की अनुमति देने के लिए था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 11.4.2014 के एक अंतरिम आदेश द्वारा अपीलकर्ताओं को वीएलडी डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं में बैठने की अनुमति दी। यह स्पष्ट कर दिया गया था कि व्यवस्था अनंतिम थी और वे अंतरिम आदेश के आधार पर किसी भी इक्विटी का दावा नहीं करेंगे। अपीलकर्ता तब से प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष की अंतिम परीक्षा में उपस्थित हुए हैं क्योंकि मामला अंतरिम आदेश के परिणामस्वरूप वीएलडी डिप्लोमा पाठ्यक्रम का हो सकता है। इसके बाद, रिट याचिकाएं खारिज कर दी गईं और उसी के खिलाफ अपीलकर्ताओं ने वर्तमान अपील दायर की है।

(3) ट्रस्ट द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान का संचालन किया जा रहा है। इसने पशुपालन और डेयरी में पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए राज्य सरकार को आवेदन दिया। महानिदेशक, पशुपालन एवं डेयरी, हरियाणा पंचकुला ने दिनांक 4.4.2011 के पत्र द्वारा गांव बहु अकबरपुर में निजी क्षेत्र में एक पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए ट्रस्ट को कुछ शर्तों पर 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' ('एनओसी' - संक्षेप में) जारी किया। रोहतक. ट्रस्ट ने दिनांक 17.6.2011 के पत्र के माध्यम से वीएलडी डिप्लोमा कोर्स आयोजित करने के लिए एनओसी भी मांगी थी, जिसके जवाब में महानिदेशक, पशुपालन और डेयरी, हरियाणा ने दिनांक 25.7.2011 के पत्र के माध्यम से स्पष्ट किया कि ट्रस्ट को निजी क्षेत्र में पशु चिकित्सा कॉलेज की स्थापना के लिए एनओसी प्रदान की गई थी। इसके द्वारा प्रस्तुत परियोजना योजना के अनुसार जिसमें बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंसेज एंड एनिमल हसबेंडरी ('बीवीएससी एंड एएच' - संक्षेप में) और वीएलडी डिप्लोमा पाठ्यक्रम शामिल हैं। इसलिए वह अपने प्रोजेक्ट और योजना के अनुसार अपने कॉलेज में वीएलडी डिप्लोमा कोर्स भी चला सकता है।

(4) लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 26.9.2011 के पत्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संस्थान को अनंतिम संबद्धता प्रदान की गई थी, जो उसमें उल्लिखित शर्तों के अधीन थी। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने तदनुसार दिनांक 28.10.2011 को एक प्रॉस्पेक्टस जारी किया, जिसमें पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार के पाठ्यक्रम के अनुसार पशु चिकित्सा और पशुधन विकास में डिप्लोमा पाठ्यक्रम की पेशकश की गई। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के साथ वीएलडी डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 11.11.2011 थी। वीएलडी डिप्लोमा कोर्स के लिए प्रवेश 30.11.2011 तक पूरे हो गए थे। सत्र 2012-13 के छात्रों के अलावा अन्य अपीलकर्ताओं ने वीएलडी डिप्लोमा पाठ्यक्रम के 2011-12 सत्र में प्रवेश के लिए आवेदन किया था और उन्हें प्रवेश दिया गया था और उन्होंने 2012 में अपना पहला वर्ष पूरा किया था। सत्र 2011-12 के पहले वर्ष की परीक्षाएं जून/जुलाई 2012 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा ही आयोजित किया गया था, न कि लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय, हिसार द्वारा।

(5) महानिदेशक पशुपालन एवं डेयरी, हरियाणा ने वीएलडी डिप्लोमा कोर्स और पशु चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीशियन कोर्स के लिए शुल्क संरचना के संबंध में दिनांक 4.11.2011 को एक पत्र जारी किया। वीएलडी डिप्लोमा कोर्स की फीस संरचना खुली कोटा सीटों के लिए 60,000/- रुपये और प्रबंधन कोटा सीटों के लिए 1,25,000/- रुपये थी; इसके अलावा, कुछ शर्तें प्रदान की गईं, जिसमें शामिल था कि वीएलडी डिप्लोमा कोर्स के लिए 50% सीटें लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय द्वारा संबंधित वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर तैयार की गई मेरिट सूची से भरी जाएंगी। और इस पाठ्यक्रम के लिए आने वाले उम्मीदवारों की पारस्परिक योग्यता के आधार पर ट्रस्ट संस्थान के प्रबंधन द्वारा 50%

(6) अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने सत्र 2012-13 के लिए वीएलडी डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश आयोजित किए और दिनांक 25.6.2012 के प्रॉस्पेक्टस के आधार पर प्रवेश दिए गए। सत्र 2011-12 के प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट में वीएलडी डिप्लोमा कोर्स के द्वितीय वर्ष में प्रवेश दिया गया।

(7) ट्रस्ट ने लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय से संबद्धता के लिए आवेदन किया और इसका निरीक्षण किया गया। लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय ने ट्रस्ट के दिनांक 17.9.2012 के आवेदन के संदर्भ में पत्र दिनांक 25.9.2012 के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संस्थान को कुछ शर्तों के अधीन अनंतिम संबद्धता प्रदान की। इसलिए, ट्रस्ट और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के पास शैक्षणिक सत्र 2011-12 और 2012-13 के लिए वीएलडी डिप्लोमा कोर्स आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय की अनंतिम संबद्धता थी।

(8) लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय ने 15.4.2013 को हरियाणा राज्य में वीएलडी डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने के इच्छुक/पेशकश संस्थानों की संबद्धता के लिए मानदंड, प्रक्रिया और दिशानिर्देश जारी किए। एक नोट के अनुसार मानदंडों में यह प्रावधान किया गया था कि जिन संस्थानों ने दिशानिर्देश जारी होने से पहले शैक्षणिक गतिविधियां शुरू कर दी थीं, राज्य सरकार द्वारा जारी एनओसी के आधार पर, ऐसे बैचों के लिए अस्थायी रूप से संबद्धता दी जा सकती है। यह संबद्धता के लिए आवेदन करने से पहले ही पूरी की जा चुकी शिक्षण अवधि से संबंधित शैक्षणिक मानकों के अनुपालन को पूरा करने के अधीन किया जा सकता है। इसके अलावा, संबद्धता के लिए आवेदन करने वाले संस्थान द्वारा छात्रों को पहले दिए गए आंतरिक मूल्यांकन को छात्रों द्वारा पाठ्यक्रम के सफल समापन के लिए मान्यता दी जा सकती है; हालाँकि, ऐसे संबद्ध संस्थानों के

सभी छात्रों को लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष की वार्षिक परीक्षाओं में शामिल होना था और उत्तीर्ण करना था ताकि डिप्लोमा पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके।

(9) उक्त नोट के परिप्रेक्ष्य में, जो छात्र सत्र 2011-12 में अंतर्राष्ट्रीय संस्थान में शामिल हुए थे और उक्त संस्थान द्वारा आयोजित प्रथम वर्ष की आंतरिक परीक्षा में शामिल हुए थे। और जो लोग दूसरे वर्ष में पढ़ रहे थे उन्हें प्रथम वर्ष की वार्षिक परीक्षा में उपस्थित होना आवश्यक था, जो लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जानी थी। इन परिस्थितियों में, सत्र 2011-12 और 2012-13 के छात्रों का बैच वीएलडी डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ, जो जून/जुलाई 2013 के दौरान लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया गया था और परिणाम घोषित किए गए थे। 2011-12 बैच के छात्रों ने तब तक वीएलडी डिप्लोमा कोर्स का दूसरा वर्ष पूरा कर लिया था, जबकि 2012-13 बैच के छात्र इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित वीएलडी डिप्लोमा कोर्स के दूसरे वर्ष में शामिल हो गए थे।

(10) पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय ने इसके बाद ट्रस्ट के दिनांक 20.4.2013 के आवेदन के संदर्भ में दिनांक 5.6.2013 के ज्ञापन के माध्यम से वीएलडी डिप्लोमा पाठ्यक्रम की पेशकश के लिए ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान को संबद्धता प्रदान की। निरीक्षण टीमों को कुछ कमियां नजर आईं जिन्हें जल्द से जल्द पूरा करने को कहा गया। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान का निरीक्षण लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय की एक समिति द्वारा किया गया था।

(11) लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के किए गए निरीक्षण के

संबंध में दिनांक 3.10.2013 को एक पत्र डीन पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय द्वारा प्राचार्य सचिव-सह-वित्तीय आयुक्त, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, चंडीगढ़ को संबोधित किया गया था। लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय के दिनांक 3.10.2013 के उक्त पत्र के अनुसार, तीन कमियाँ बताई गई थीं अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय संस्थान में प्रवेश पाने वाले छात्रों के मैट्रिक में 65% से कम अंक थे, कुछ छात्रों के 55% से कम अंक थे। 10+2 परीक्षा में और कुछ छात्र आयु की आवश्यकता को पूरा नहीं करते थे जो 22 वर्ष थी।

(12) राज्य सरकार ने इस संबंध में 16.1.2014 को हरियाणा सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में अपनी विवादित बैठक आयोजित की। यह देखा गया कि ट्रस्ट को वीएलडी डिप्लोमा कोर्स आयोजित करने के लिए एनओसी दिनांक 25.7.2011 के ज्ञापन और दिनांक 4.11.2011 के ज्ञापन के माध्यम से प्रदान की गई थी। इसके अलावा, दिनांक 24.7.2012 के ज्ञापन के माध्यम से मैसर्स अमरजीत एजुकेशन सोसायटी (पंजीकृत) 'छुछूकवास' जिला झज्जर को वीएलडी डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए एनओसी भी दी गई थी। महानिदेशक, पशुपालन एवं डेयरी, पंचकुला द्वारा ट्रस्ट को वीएलडी डिप्लोमा कोर्स चलाने के लिए जारी की गई एनओसी दिनांक 25.7.2011 में शर्त यह थी कि प्रस्तावित कॉलेज को लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय से संबद्ध होना होगा। यह देखा गया कि संस्थानों यानी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और अन्य संस्थान (मैसर्स अमरजीत एजुकेशन सोसाइटी) ने वर्ष 2011 और 2012 में वीएलडी डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए उम्मीदवारों को प्रवेश दिया था। इन छात्रों को डिप्लोमा प्रमाण पत्र प्रदान करने के मुद्दे पर चर्चा की गई थी। बैठक में लंबाई और यह निर्णय लिया गया कि लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय अपने संस्थानों में वीएलडी डिप्लोमा पाठ्यक्रम के संचालन के लिए एनओसी प्रदान करते समय उपर्युक्त संस्थानों पर लगाई गई शर्तों के अनुसार सख्ती से वीएलडी डिप्लोमा

पाठ्यक्रम के उम्मीदवारों की परीक्षा आयोजित करेगा। लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय में वीएलडी डिप्लोमा पाठ्यक्रम में बनाए गए अधिकतम आयु और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता से संबंधित न्यूनतम मानकों को निजी संस्थानों द्वारा भी बनाए रखा जाएगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि उपरोक्त मानकों को पूरा करने वाले इन दोनों निजी संस्थानों के छात्रों की परीक्षाएं लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय की पूर्ण निगरानी में आयोजित की जाएंगी|

(13) विवादित कार्यवाही के अनुसरण में, शैक्षणिक योग्यता और उम्र के संबंध में कमियां देखी गईं। आक्षेपित कार्यवाही का निर्णय यह था कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के जिन छात्रों को सत्र 2011-12 और 2012-13 के लिए दो वर्षीय वीएलडी डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया था, उन्हें उक्त पाठ्यक्रम के लिए कॉलेज द्वारा प्रदान की गई शर्तों का पालन करना था। पशु चिकित्सा विज्ञान, लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय, हिसार और वह नहीं जो 28.10.2011 को अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा जारी प्रॉस्पेक्टस द्वारा निर्धारित किया गया था। वीएलडी डिप्लोमा कोर्स के 2011-12 और 2012-13 बैच के अपीलकर्ताओं को क्रमशः प्रथम वर्ष और दूसरे वर्ष की परीक्षाओं में उपस्थित होना था, जो अप्रैल 2014 के महीने में आयोजित होने वाली थीं। उन्हें उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी गई थी पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय, हिसार द्वारा निर्धारित पूर्व-आवश्यकताओं के अनुसार वीएलडी डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए अयोग्य होने के आधार पर परीक्षाओं में। तदनुसार, उन्होंने इस न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर कीं और विद्वान एकल न्यायाधीश ने, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, अंतरिम आदेश दिनांक 11.4.2014 द्वारा उन्हें 16.4.2014 से शुरू होने वाली वीएलडी डिप्लोमा कोर्स की प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं में बैठने की अनुमति दे दी। तदनुसार, अपीलकर्ता वीएलडी

डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं में उपस्थित हुए। हालाँकि, रिट याचिकाएँ विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दी गईं और उसी के खिलाफ अपीलकर्ताओं ने वर्तमान अपील दायर की है।

(14) अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री राजबीर शेरावत और अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित अन्य विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि राज्य सरकार ने 4.4.2011 और 25.7.2011 को अंतर्राष्ट्रीय संस्थान चलाने के लिए ट्रस्ट को एनओसी प्रदान की थी। इसमें कोई शर्त नहीं थी कि ट्रस्ट द्वारा चलाया जा रहा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान अधिकतम आयु और न्यूनतम शैक्षिक योग्यता से संबंधित न्यूनतम मानकों को बनाए रखेगा जैसा कि लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय में वीएलडी डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए बनाए रखा गया है। इसके अलावा, लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 26.9.2011, 25.9.2012 और 5.6.2013 के पत्रों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संस्थान को दी गई संबद्धता में ऐसी कोई शर्त नहीं थी। अपीलकर्ताओं ने आवेदन किया था और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा जारी किए गए प्रॉस्पेक्टस में प्रदान की गई योग्यताओं के आधार पर प्रवेश दिया गया था, जिसमें कानून का बल है। यह प्रस्तुत किया गया है कि भारतीय पशु चिकित्सा परिषद से मान्यता की आवश्यकता बीवीएससी और एएच डिग्री प्रोग्राम के लिए है, न कि वीएलडी डिप्लोमा कोर्स के लिए। उनकी ओर से कोई गलत बयानी नहीं की गई।' इसके अलावा, अपीलकर्ता वीएलडी डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के लिए लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं में उपस्थित हुए, जिससे उन्हें परीक्षाओं में बैठने के लिए पात्र माना गया। इसलिए, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के वीएलडी डिप्लोमा कोर्स के 2011-12 और 2012-13 बैच के छात्रों के 2013 में लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रथम वर्ष की परीक्षाओं में शामिल होने के बाद, अब यह नहीं कहा जा सकता है

कि वे अयोग्य थे वीएलडी डिप्लोमा पाठ्यक्रम लेने के लिए। यह प्रस्तुत किया गया है कि लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय को वास्तव में उसके कार्य, आचरण और अनुमति द्वारा ऐसी याचिका दायर करने से रोका गया है ताकि अपीलकर्ताओं को वीएलडी डिप्लोमा कोर्स की डिग्री के लाभ से वंचित किया जा सके।

(15) जवाब में, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के वकील श्री दिनेश अरोड़ा ने अपीलकर्ताओं के रुख का समर्थन किया और प्रस्तुत किया कि अपीलें अनुमति देने योग्य हैं।

(16) श्री पवन गिरधर, अति. हरियाणा के महाधिवक्ता और लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय के वकील श्री डी.एस. रावत ने अपीलों का कड़ा विरोध किया है। उनके अनुसार लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय में वीएलडी डिप्लोमा पाठ्यक्रम में बनाए गए अधिकतम आयु और न्यूनतम शैक्षिक योग्यता से संबंधित न्यूनतम मानकों को 16.1 को हुई बैठक में लिए गए सरकारी निर्णय के अनुरूप बनाए रखा जाना चाहिए था। .2014. इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने वीएलडी डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए अपनी 50% सीटें लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली एक खुली प्रतिस्पर्धी परीक्षा के माध्यम से भरने की शर्त का पालन नहीं किया, जैसा कि सरकार द्वारा प्रदान किया गया था। वीएलडी डिप्लोमा कोर्स के लिए शुल्क संरचना से संबंधित पत्र दिनांक 4.11.2011।

(17) हमने पूरे मामले पर गहन विचार किया है।

(18) इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ट्रस्ट द्वारा चलाया जा रहा है और यह वीएलडी डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है। महानिदेशक, पशुपालन एवं डेयरी, हरियाणा पंचकुला ने दिनांक 4.4.2011 के पत्र के माध्यम से गांव बहु अकबरपुर, रोहतक में निजी क्षेत्र में एक पशु

चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए ट्रस्ट को एनओसी जारी की। प्रदान की गई एनओसी में निम्नलिखित शर्तें प्रदान की गई थीं:-

"1. कॉलेज को भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त होगी और छात्रों को बीवीएससी और एएच (बैचलर ऑफ एनिमल साइंसेज एंड एनिमल हसबैंड्री) के प्रथम वर्ष में प्रवेश देने से पहले इसकी मंजूरी लेनी होगी।

2. प्रस्तावित कॉलेज को लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार से संबद्ध होना होगा।

3. ट्रस्ट को अपने पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता/अनुदान नहीं दिया जाएगा।

4. ट्रस्ट कॉलेज और क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के दिशानिर्देशों के अनुसार एक पशु चिकित्सा अस्पताल और अन्य बुनियादी ढांचे की स्थापना करेगा।

5. कॉलेज के लिए प्रवेश और शुल्क संरचना, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की जाएगी। कुल प्रवेश का 50% राज्य कोटा सीटें होंगी। शेष 50% प्रबंधन कोटा सीटें होंगी जिनमें 15% एनआरआई कोटा सीटें शामिल होंगी।

6. संस्था हर समय सरकार और राज्य पशु चिकित्सा परिषद के साथ-साथ भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करेगी।"

(19) ट्रस्ट ने पत्र दिनांक 17.6.2011 के माध्यम से वीएलडी डिप्लोमा कोर्स आयोजित करने के लिए एनओसी भी मांगी, जिसके जवाब में महानिदेशक, पशुपालन और डेयरी हरियाणा ने पत्र दिनांक 25.7.2011 के माध्यम से स्पष्ट किया। ट्रस्ट को उसके द्वारा प्रस्तुत परियोजना योजना के अनुसार निजी क्षेत्र में एक पशु चिकित्सा कॉलेज की स्थापना के लिए एनओसी प्रदान की गई थी जिसमें बीवीएससी और एएच और वीएलडी डिप्लोमा पाठ्यक्रम शामिल हैं। इसलिए अपने प्रोजेक्ट और योजना के अनुसार वह अपने कॉलेज में वीएलडी डिप्लोमा भी चला सकता है।

(20) लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय ने पत्र दिनांक 26.9.2011 के माध्यम से निम्नलिखित शर्तों के अधीन रोहतक में अंतर्राष्ट्रीय संस्थान को अनंतिम संबद्धता प्रदान करने की कृपा की: -

"(i) इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी एजुकेशन एंड रिसर्च बहुअकबरपुर एनएच-10 रोहतक समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए संबद्धता के नियमों और दिशानिर्देशों का पालन करेगा।

(ii) बीवीएससी और एएच डिग्री प्रोग्राम में प्रवेश स्थायी मान्यता तक वार्षिक आधार पर भारतीय पशु चिकित्सा परिषद से मान्यता प्राप्त करने के बाद ही दिया जाएगा।"

(21) ट्रस्ट से यह भी अनुरोध किया गया कि वह 15 दिनों के भीतर प्रथम वर्ष के लिए 1 लाख रुपये की संबद्धता शुल्क जमा करे, अन्यथा संबद्धता रद्द कर दी जाएगी। तदनुसार, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने 28.10.2011 को एक प्रॉस्पेक्टस जारी किया, जिसमें पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार के पाठ्यक्रम के अनुसार वीएलडी डिप्लोमा पाठ्यक्रम की पेशकश की गई। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा प्रॉस्पेक्टस दिनांक 28.10.2011 जारी किया गया

था और वीएलडी डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 11.11.2011 थी। सभी प्रवेश फॉर्मों को मैट्रिक प्रमाणपत्र और 10+2 परीक्षाओं की मार्कशीट सहित विभिन्न दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियों के साथ जमा करना आवश्यक था। वीएलडी डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश के लिए पूर्व शर्त इस प्रकार थी:-

"1. उसे मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में कुल 50% अंकों (केवल एससी/बीसी के लिए 40%) के साथ 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए।

2. आयु 31.12.2011 को 17 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।"

(22) सत्र 2011-12 के वीएलडी डिप्लोमा कोर्स के लिए प्रवेश 30.11.2011 तक शुरू और पूरे हो गए थे। सत्र 2012-13 के अपीलकर्ताओं के अलावा अन्य अपीलकर्ताओं ने वीएलडी डिप्लोमा पाठ्यक्रम के 2011-12 सत्र में प्रवेश के लिए आवेदन किया था और उन्हें 2012 में अपना पहला वर्ष पूरा किया गया था। सत्र 2011-12 के पहले वर्ष की परीक्षाएं थीं जून/जुलाई 2012 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा ही आयोजित किया गया था, न कि लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय, रोहतक द्वारा। इसके बाद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ने सत्र 2012-13 के लिए वीएलडी डिप्लोमा कोर्स के लिए भी प्रवेश आयोजित किए और प्रवेश दिए गए। सत्र 2011-12 के प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट में वीएलडी डिप्लोमा कोर्स के द्वितीय वर्ष में प्रवेश दिया गया।

(23) महानिदेशक पशुपालन एवं डेयरी, हरियाणा ने वीएलडी डिप्लोमा कोर्स और पशु चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीशियन कोर्स के लिए शुल्क संरचना के संबंध में दिनांक 4.11.2011 को एक पत्र जारी किया। वीएलडी डिप्लोमा कोर्स की फीस संरचना खुली कोटा सीटों के

लिए 60,000/- रुपये और प्रबंधन कोटा सीटों के लिए 1,25,000/- रुपये थी। शुल्क संरचना निम्नलिखित शर्तों के अधीन थी: -

1. कि आपका संस्थान एक वर्ष में पशु चिकित्सा पशुधन विकास डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए एक बैच में 90 से अधिक छात्रों को प्रवेश नहीं देगा।

2. कि आपका संस्थान एक वर्ष में पशु चिकित्सा तकनीशियन डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए एक बैच में 40 से अधिक छात्रों को प्रवेश नहीं देगा।

3. कुल सीटों में से 50% पशु चिकित्सा और पशुधन डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, एलएलआरयूवीएस (लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय) द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर तैयार की गई मेरिट सूची से भरी जाएंगी। संबंधित वर्ष के लिए उपरोक्त कॉलेज और शेष 50% सीटें आपके संस्थान के प्रबंधन द्वारा उम्मीदवारों की पारस्परिक योग्यता के आधार पर भरी जा सकती हैं।

4. पशु चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीशियन पाठ्यक्रम के लिए, सीटें उपरोक्त शर्त संख्या 3 में उल्लिखित मानदंडों के अनुसार भरी जाएंगी, हालांकि, इस पाठ्यक्रम के लिए मूल योग्यता विज्ञान स्ट्रीम के साथ 10+2 होगी।

(24) अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय से संबद्धता के लिए आवेदन किया और उसका निरीक्षण किया गया। लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय ने ट्रस्ट के दिनांक 17.9.2012 के आवेदन के संदर्भ में पत्र दिनांक 25.9.2012 के माध्यम से निम्नलिखित शर्तों के अधीन अंतर्राष्ट्रीय संस्थान को अनंतिम संबद्धता प्रदान की: -

"1. अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान बहुअकबरपुर। एनएच-10 रोहतक समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए संबद्धता के नियमों और दिशानिर्देशों का पालन करेगा।

2. बीवीएससी और एएच डिग्री कार्यक्रम में प्रवेश स्थायी मान्यता तक वार्षिक आधार पर भारतीय पशु चिकित्सा परिषद से मान्यता प्राप्त करने के बाद ही दिया जाएगा।

(25) इसलिए, ट्रस्ट और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट को विश्वविद्यालय के दिनांक 26.9.2011 और 25.9.2012 के पत्रों के माध्यम से शैक्षणिक सत्र 2011-12 और 2012-13 के लिए संस्थान चलाने के लिए लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय से अनंतिम संबद्धता प्राप्त थी।

(26) लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय ने 15.4.2013 को हरियाणा राज्य में वीएलडी डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने के इच्छुक/पेशकश संस्थानों की संबद्धता के लिए मानदंड, प्रक्रिया और दिशानिर्देश जारी किए। उक्त मानदंडों में, एक नोट संलग्न किया गया था जो निम्नलिखित प्रभाव वाला है: -

"उन संस्थानों के मामले में जिन्होंने इन दिशानिर्देशों के जारी होने से पहले शैक्षणिक गतिविधियां शुरू कर दी हैं, राज्य सरकार द्वारा जारी एनओसी के आधार पर। ऐसे बैचों के लिए संबद्धता अनंतिम रूप से दी जा सकती है, जो संबद्धता के लिए आवेदन करने से पहले ही पूरी हो चुकी शिक्षण अवधि से संबंधित शैक्षणिक मानकों के सत्यापन के माध्यम से पूर्ण अनुपालन के अधीन है। जबकि संबद्धता के लिए आवेदन करने वाले संस्थान द्वारा छात्रों को पहले दिए गए आंतरिक मूल्यांकन को छात्रों द्वारा पाठ्यक्रम के सफल समापन के लिए मान्यता दी जा सकती है। ऐसे संबद्ध संस्थानों के

सभी छात्रों को डिप्लोमा पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रथम और द्वितीय वर्ष की वार्षिक परीक्षाओं में शामिल होना होगा और उत्तीर्ण करना होगा।

(27) उक्त नोट के अनुसार, जिन संस्थानों ने दिशा-निर्देश जारी होने से पहले शैक्षणिक गतिविधियाँ शुरू कर दी थीं, उनके संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी एनओसी के आधार पर यह प्रावधान किया गया था कि ऐसे बैचों के लिए संबद्धता अनंतिम रूप से दी जा सकती है। संबद्धता के लिए आवेदन करने से पहले ही पूरी हो चुकी शिक्षण की अवधि से संबंधित शैक्षणिक मानकों का पूर्ण अनुपालन। इसके अलावा, जबकि संबद्धता के लिए आवेदन करने वाले संस्थान द्वारा छात्रों को पहले दिए गए आंतरिक मूल्यांकन को छात्रों द्वारा पाठ्यक्रम के सफल समापन के लिए मान्यता दी जा सकती है; हालाँकि, ऐसे संबद्ध संस्थानों के सभी छात्रों को लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष की वार्षिक परीक्षाओं में शामिल होना था और उत्तीर्ण करना था ताकि डिप्लोमा पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके।

(28) उक्त नोट के परिप्रेक्ष्य में, जो छात्र सत्र 2011-12 में अंतर्राष्ट्रीय संस्थान में शामिल हुए थे और उक्त संस्थान द्वारा आयोजित प्रथम वर्ष की आंतरिक परीक्षा में शामिल हुए थे। और द्वितीय वर्ष में पढ़ रहे थे, उन्हें प्रथम वर्ष की वार्षिक परीक्षा में शामिल होना था। प्रथम वर्ष की यह परीक्षा लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जानी थी। इन परिस्थितियों में, सत्र 2011-12 और 2012-13 के छात्रों के बैच जून/जुलाई 2013 के दौरान लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रथम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुए और परिणाम घोषित किए गए। 2011-12 बैच के छात्र जिन्होंने तब तक वीएलडी डिप्लोमा कोर्स का दूसरा वर्ष पूरा कर लिया था, जबकि 2012-13 बैच के छात्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा संचालित वीएलडी डिप्लोमा कोर्स के दूसरे वर्ष में शामिल हो गए।

(29) पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय ने ट्रस्ट के दिनांक 20.4.2013 के आवेदन के संदर्भ में दिनांक 5.6.2013 के ज्ञापन के माध्यम से वीएलडी डिप्लोमा पाठ्यक्रम की पेशकश के लिए ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान को संबद्धता प्रदान की। निरीक्षण टीमों को कुछ कमियां नजर आईं जिन्हें जल्द से जल्द पूरा करने को कहा गया। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान का निरीक्षण लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय की एक समिति द्वारा किया गया था।

(30) लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के किए गए निरीक्षण के संबंध में दिनांक 3.10.2013 को एक पत्र डीन पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय द्वारा प्रमुख सचिव सह वित्तीय आयुक्त, हरियाणा सरकार, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, चंडीगढ़ को संबोधित किया गया था। उसमें कहा गया था कि लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय की एक समिति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान का निरीक्षण किया गया था और सत्र 2012-13 के लिए संबद्धता प्रदान की गई थी। हालाँकि, छात्रों को सत्र 2011-12 और 2012-13 के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान में प्रवेश दिया गया था, न कि लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय के माध्यम से। वीएलडी डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए प्रवेशित छात्रों के संबंध में बड़ी संख्या में शिकायतें, सूचना का अधिकार आवेदन और कानूनी नोटिस थे। छात्रों के रिकॉर्ड को देखने से पता चला कि लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय द्वारा जारी प्रॉस्पेक्टस में लिखी गई न्यूनतम आवश्यकता का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया था। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने वाले कुछ छात्रों के मैट्रिक परीक्षा में 65% से कम अंक थे, जो लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा विज्ञान

महाविद्यालय के प्रॉस्पेक्टस में निर्दिष्ट अंकों के विपरीत था; इसके अलावा, कुछ छात्रों के 10+2 परीक्षा में 55% से कम अंक थे जो कि विश्वविद्यालय प्रॉस्पेक्टस में दिए गए अंकों के विपरीत था और कुछ छात्र विश्वविद्यालय प्रॉस्पेक्टस में दी गई अपनी आयु आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते थे। अनुरोध किया गया था कि निजी संस्थान से इन खामियों के बारे में स्पष्टीकरण मांगा जाए क्योंकि एनओसी राज्य पशुपालन विभाग द्वारा प्रदान की गई थी। यह भी उल्लेख किया गया है कि हालांकि दोनों कक्षाओं यानी 2011-12 और 2012-13 की प्रथम वर्ष की परीक्षाएं अनंतिम रूप से लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय द्वारा आयोजित की गई थीं। वर्ष 2012-13 के लिए संबद्धता मिलने के बाद से अब तक द्वितीय वर्ष की परीक्षा नहीं हुई है| यह स्पष्ट करने को कहा गया था कि द्वितीय वर्ष की परीक्षा आयोजित की जा सकती है या नहीं। यह भी उल्लेख किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के पास अब वीएलडी डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए इष्टतम बुनियादी सुविधाएं थीं, लेकिन उक्त पहलू पर विचार-विमर्श/विचार करने की आवश्यकता थी।

(31) लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय के दिनांक 3.10.2013 के उक्त पत्र के अनुसार, तीन कमियाँ बताई गईं अर्थात (1) अंतर्राष्ट्रीय संस्थान में प्रवेश पाने वाले छात्रों के मैट्रिक में 65% से कम अंक थे, (2)) कुछ छात्रों के 10+2 परीक्षा में 55% से कम अंक थे और (3) कुछ छात्र आयु की आवश्यकता को पूरा नहीं करते थे जो 22 वर्ष थी।

(32) राज्य सरकार ने इस संबंध में 16.1.2014 को हरियाणा सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की। यह देखा गया कि ट्रस्ट को वीएलडी डिप्लोमा कोर्स आयोजित करने के लिए एनओसी दिनांक 25.7.2011 के ज्ञापन और दिनांक 4.11.2011 के ज्ञापन के माध्यम से प्रदान की

गई थी। इसके अलावा, दिनांक 24.7.2012 के ज्ञापन के माध्यम से मैसर्स अमरजीत एजुकेशन सोसायटी (पंजीकृत) छुछूकवास, जिला झज्जर को वीएलडी डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए एनओसी भी दी गई थी। यह उल्लेख किया गया है कि शर्तों में से एक यह थी कि वीएलडी डिप्लोमा कोर्स के लिए लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय द्वारा तैयार की गई मेरिट सूची से कुल सीटों में से 50% भरी जाएंगी। यह संबंधित वर्ष के लिए कॉलेज द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जाना था और शेष 50% सीटें संस्थान के प्रबंधन द्वारा उम्मीदवारों की पारस्परिक योग्यता के आधार पर भरी जा सकती थीं। यह आगे दर्ज किया गया है कि सरकार ने दिनांक 8.11.2012 के ज्ञापन के माध्यम से निजी संस्थानों द्वारा संचालित वीएलडी डिप्लोमा पाठ्यक्रम के संबंध में डीन, पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए। दिशानिर्देशों के बिंदु 7 के अनुसार, "पाठ्यक्रम के सफल समापन के बाद डिप्लोमा प्रमाणपत्र पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय एलएलआरयूवीएस (लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय) हिसार द्वारा जारी किया जाएगा।" यह देखा गया कि संस्थानों यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट और अन्य इंस्टीट्यूट (मैसर्स अमरजीत एजुकेशन सोसाइटी (पंजीकृत) छुछूकवास, झज्जर) ने वर्ष 2011 और 2012 में वीएलडी डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए उम्मीदवारों को प्रवेश दिया।

बैठक में इन छात्रों को डिप्लोमा प्रमाणपत्र प्रदान करने के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई और यह निर्णय लिया गया कि लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय वीएलडी डिप्लोमा पाठ्यक्रम के उम्मीदवारों की परीक्षा उपरोक्त संस्थानों पर लगाई गई शर्तों के अनुसार सख्ती से आयोजित करेगा। अपने संस्थानों में वीएलडी डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए एनओसी प्रदान करते समय। लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा विज्ञान

महाविद्यालय में वीएलडी डिप्लोमा पाठ्यक्रम में बनाए गए अधिकतम आयु और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता से संबंधित न्यूनतम मानकों को निजी संस्थानों द्वारा भी बनाए रखा जाएगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि उपरोक्त मानकों को पूरा करने वाले इन दोनों निजी संस्थानों के छात्रों की परीक्षाएं लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय की पूर्ण निगरानी में आयोजित की जाएंगी।

(33) दिनांक 16.1.2014 की विवादित कार्यवाही के अनुसरण में, प्रथम वर्ष वीएलडी डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्रों की शैक्षणिक योग्यता और आयु के संबंध में कमियां देखी गईं। आक्षेपित कार्यवाही का निर्णय यह था कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के जिन छात्रों को सत्र 2011-12 और 2012-13 के लिए दो वर्षीय वीएलडी डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया था, उन्हें उक्त पाठ्यक्रम के लिए शर्तों का पालन करना होगा जैसा कि कॉलेज द्वारा प्रदान किया गया था। पशु चिकित्सा विज्ञान, लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय, हिसार और न कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा जारी प्रॉस्पेक्टस द्वारा निर्धारित किया गया था।

(34) अपीलकर्ता जिन्होंने वीएलडी डिप्लोमा कोर्स के प्रथम वर्ष और दूसरे/अंतिम वर्ष की कक्षाओं में भाग लिया था और अप्रैल 2014 के महीने में होने वाली परीक्षाओं में शामिल होने वाले थे, उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई थी पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय, हिसार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार वीएलडी डिप्लोमा कोर्स के लिए अयोग्य होने के आधार पर। उन्होंने तदनुसार इस न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर कीं और विद्वान एकल न्यायाधीश ने, जैसा कि पहले ही अंतरिम आदेश दिनांक 11.4.2014 द्वारा देखा गया था, उन्हें 16.4.2014 से शुरू होने वाले वीएलडी डिप्लोमा कोर्स के दूसरे वर्ष में बैठने की अनुमति दी। हालाँकि, रिट याचिकाएँ विद्वान एकल

न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दी गईं।

(35) जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपने आक्षेपित निर्णय दिनांक 16.5.2015 के तहत अपीलकर्ताओं की याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि उनके पास वीएलडी डिप्लोमा कोर्स में उपस्थित होने के लिए आवश्यक योग्यता नहीं थी। महानिदेशक, पशुपालन और डेयरी, हरियाणा द्वारा जारी एनओसी पत्र दिनांक 4.4.2011 के खंड 5 का संदर्भ दिया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान है कि कुल प्रवेश का 50% राज्य कोटा सीटें होंगी। और शेष 50% प्रबंधन कोटा सीटें होंगी जिनमें 15% एनआरआई कोटा सीटें शामिल होंगी। दिनांक 4.11.2011 की शुल्क संरचना के खंड 3 में प्रावधान है कि कुल 50% सीटें विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित संबंधित वर्ष की प्रवेश परीक्षा के आधार पर लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय द्वारा तैयार की गई मेरिट सूची से भरी जाएंगी। और शेष 50% ट्रस्ट के प्रबंधन द्वारा पाठ्यक्रम यानी वीएलडी डिप्लोमा कोर्स के लिए आने वाले उम्मीदवारों की पारस्परिक योग्यता के आधार पर भरा जाएगा। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने वीएलडी डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश के लिए अपने स्वयं के पात्रता मानदंड निर्धारित किए थे, जिसके अनुसार एक छात्र को मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में 50% अंकों के साथ 10+2 उत्तीर्ण होना आवश्यक था। जो एससी/बीसी के लिए केवल 40% है और 31.12.2011 को 17 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए।

(36) लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय ने सत्र 2011-12 और 2012-13 के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड निर्धारित किए थे: -

"सत्र 2011-2012 के लिए प्रॉस्पेक्टस:

खण्ड 2.18:

(i) 10+2 कक्षा में 50% अंक (केवल अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 40%)।

(ii) 65% अंक (केवल एससी उम्मीदवारों के लिए 55%)।

टिप्पणी:

(1) उम्मीदवार को 10वीं और 10+2 में उसके द्वारा लिए गए सभी विषयों में उत्तीर्ण होना चाहिए। यदि कोई अभ्यर्थी 10वीं या 10+2 में किसी भी विषय में फेल हो गया है तो वह प्रवेश के लिए पात्र नहीं होगा।

(2) मैट्रिक अंकों के प्रतिशत की गणना सभी विषयों में प्राप्त अंकों को शामिल करके की जाएगी।

खण्ड 2.19

1 जून 2011 को उम्मीदवार की आयु 17 वर्ष से कम और 22 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि, एससी और बीसी उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट होगी। सेवारत उम्मीदवारों के लिए कोई आयु सीमा नहीं है।"

"सत्र 2012-2013 के लिए प्रॉस्पेक्टस: खंड 2.15:

(i) 10+2 कक्षा में 50% अंक (केवल अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 40%)।

(ii) 65% अंक (केवल एससी उम्मीदवारों के लिए 55%)।

खण्ड 2.16

31 दिसंबर 2012 को उम्मीदवारों की आयु 17 वर्ष से कम और

22 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि, एससी और बीसी उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट होगी। सेवारत उम्मीदवारों के लिए कोई आयु सीमा नहीं है।"

(37) विद्वान एकल द्वारा संबद्धता विनियमन दिनांक 5.6.2013 से जुड़े नोट का एक और संदर्भ दिया गया था जिसे ऊपर पुन: प्रस्तुत किया गया है और इसका आशय यह है कि जिन संस्थानों ने दिशानिर्देश जारी होने से पहले शैक्षणिक गतिविधियां शुरू कर दी थीं। राज्य सरकार द्वारा जारी एनओसी के आधार पर केवल ऐसे बैचों के लिए अनंतिम संबद्धता दी जानी थी, जो संबद्धता के लिए आवेदन करने से पहले ही पूरी की गई शिक्षण अवधि से संबंधित शैक्षणिक मानकों के सत्यापन के माध्यम से पूर्ण अनुपालन के अधीन थी। उक्त नोट को अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के लिए कोई मदद नहीं माना गया क्योंकि यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया था कि जिस संस्थान को एनओसी दी गई थी और जिसे अस्थायी रूप से संबद्ध किया जाना था, उसे शैक्षणिक मानकों का पूर्ण अनुपालन करना होगा। दिनांक 16.1.2014 को सरकार द्वारा लिया गया विवादित निर्णय इस प्रकार है:-

"उपरोक्त संस्थानों ने वर्ष 2011 और 2012 में पशु चिकित्सा पशुधन विकास डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए उम्मीदवारों को प्रवेश दिया। बैठक में इन छात्रों को डिप्लोमा प्रमाणपत्र प्रदान करने के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई और यह निर्णय लिया गया कि एल.यू.वी.ए.एस. (लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय) हिसार पशु चिकित्सा पशुधन विकास डिप्लोमा पाठ्यक्रम के उम्मीदवारों की परीक्षा आयोजित करेगा। अपने संस्थानों में वीएलडीडी (यानी वीएलडी डिप्लोमा) पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए एनओसी प्रदान करते समय उपर्युक्त संस्थानों पर लगाई गई शर्तों के अनुसार सख्ती से। पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, LUVAS, (लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं

पशु विज्ञान विश्वविद्यालय) हिसार में पशु पशुधन विकास डिप्लोमा पाठ्यक्रम में बनाए गए अधिकतम आयु और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता से संबंधित न्यूनतम मानकों को निजी संस्थानों द्वारा भी बनाए रखा जाएगा।

बैठक में निर्णय लिया गया कि उपरोक्त मानकों को पूरा करने वाले इन दोनों निजी संस्थानों के छात्रों की परीक्षाएं पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, लुवास, हिसार की पूर्ण निगरानी में आयोजित की जाएंगी।

(38) उपरोक्त निर्णय के अनुसार, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा यह माना गया कि लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय द्वारा बनाए गए आयु और शैक्षिक योग्यता के न्यूनतम मानकों को पूरा करने वाले छात्रों को लाभ दिया गया था। और समिति ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थान में प्रवेश पाने वाले उन सभी छात्रों की परीक्षा लेने का निर्णय लिया जो आयु और शैक्षिक योग्यता के उपरोक्त मानकों को पूरा करेंगे। इस प्रकार रोक का कोई सवाल ही नहीं था क्योंकि न केवल अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने प्रवेश देते समय एनओसी दिनांक 4.4.2011 के नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया था, बल्कि राज्य कोटा सीटों के 50% सेवन का पालन भी नहीं किया था। लेकिन लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय में वीएलडी डिप्लोमा पाठ्यक्रम में अधिकतम आयु और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता से संबंधित न्यूनतम मानक भी बनाए रखे गए हैं। यह माना गया कि दिनांक 16.1.2014 की कार्यवाही बिना किसी दोष के थी और इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाना था। हालाँकि, लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय में वीएलडी डिप्लोमा पाठ्यक्रम में बनाए गए अधिकतम आयु और न्यूनतम शिक्षा योग्यता से संबंधित न्यूनतम मानकों को पूरा करने वाले छात्रों को परीक्षाओं में बैठने की अनुमति

दी गई थी। तथा उक्त छात्रों का परीक्षाफल घोषित करने का निर्देश दिया गया। वे छात्र जो लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय में वीएलडी डिप्लोमा पाठ्यक्रम में बनाए गए अधिकतम आयु और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता से संबंधित न्यूनतम मानकों को पूरा नहीं करते थे। यह माना गया कि विश्वविद्यालय द्वारा या इस न्यायालय के आदेशों के तहत आयोजित अनंतिम परीक्षा देने के बाद भी किसी भी इक्विटी का दावा नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रवेश के लिए बुनियादी योग्यता और आयु मानदंड से समझौता नहीं किया जा सकता है। महात्मा गांधी विश्वविद्यालय और अन्य बनाम जीआईएस जोस और अन्य (1) के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा रखा गया था। हालाँकि, जिन छात्रों को लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय द्वारा वीएलडी डिप्लोमा कोर्स में बनाए गए अधिकतम आयु और न्यूनतम शैक्षिक योग्यता से संबंधित न्यूनतम मानकों के संबंध में सभी प्रासंगिक तथ्यों का खुलासा किए बिना अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा यात्रा के लिए ले जाया गया था। जो उनके पास नहीं था, उन्हें कानून के अनुसार नुकसान का दावा करने और अपनी फीस वापस करने का हकदार माना गया।

(39) इसलिए, अपीलकर्ताओं पर मुकदमा न चलाने के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा जो कारण पाए गए हैं वे हैं; (1) आयु से संबंधित न्यूनतम मानक, और (2) शैक्षिक योग्यता, जैसा कि लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय द्वारा पशु चिकित्सा विज्ञान के वीएलडी डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए बनाए रखा जा रहा था, बनाए नहीं रखा गया था।

(40) महानिदेशक, पशुपालन एवं डेयरी, पंचकुला द्वारा ट्रस्ट को वीएलडी डिप्लोमा कोर्स चलाने के लिए जारी एनओसी दिनांक 4.4.2011 में वास्तव में एक शर्त है। छात्र के कुल प्रवेश का 50%

राज्य कोटा सीटें होंगी और शेष 50% प्रबंधन कोटा सीटें होंगी जिनमें 15% एनआरआई कोटा सीटें शामिल होंगी। हालाँकि, 50% राज्य कोटे की सीटें किस तरह से भरी जानी थीं, इसका उल्लेख नहीं किया गया था। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा सत्र 2011-12 के लिए 28.10.2011 को प्रॉस्पेक्टस जारी किया गया था और सत्र 2012-13 के लिए 25.6.2012 को जारी किया गया था। प्रॉस्पेक्टस में यह प्रावधान किया गया था कि एनआरआई छात्रों को छोड़कर प्रवेश प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होगा। प्रवेश परीक्षा का विवरण यानी वीएलडी डिप्लोमा कोर्स के लिए प्रवेश परीक्षा की तारीख और समय सत्र 2011-12 के लिए 13.11.2011 और सत्र 2012-13 के लिए 12.8.2012 दिया गया था। दोनों सत्रों के लिए प्रवेश प्रक्रिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा ही की गई थी। वीएलडी डिप्लोमा कोर्स और पशु चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीशियन कोर्स के लिए शुल्क संरचना से संबंधित दिनांक 4.11.2011 के पत्र में राज्य कोटा की 50% सीटें भरने का तरीका बताया गया था। उक्त पत्र के पैरा 3 में परिकल्पना की गई है कि कुल सीटों में से 50% वीएलडी डिप्लोमा कोर्स के लिए लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय द्वारा आयोजित संबंधित वर्ष की प्रवेश परीक्षा के आधार पर तैयार की गई मेरिट सूची से भरी जाएंगी। कॉलेज। और शेष 50% संस्थान के प्रबंधन द्वारा भरा जाएगा यानी ट्रस्ट द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय संस्थान वीएलडी डिप्लोमा कोर्स के लिए इसमें आने वाले उम्मीदवारों की पारस्परिक योग्यता के आधार पर।

(41) वास्तव में ट्रस्ट और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की ओर से राज्य सरकार द्वारा अपने पत्र दिनांक 4.4.2011 में तय किए गए मानदंडों का पालन न करने में चूक हुई है, जो 28.10.2011 को प्रॉस्पेक्टस जारी होने के समय मौजूद था। हालाँकि इन्हें भरने के तरीके का उल्लेख नहीं किया गया था और 4.11.2011 को जारी शुल्क संरचना से संबंधित पत्र में इसका उल्लेख किया गया था,

उस समय तक 28.10.2011 का प्रॉस्पेक्टस पहले ही जारी किया जा चुका था। हालाँकि, सत्र 2012-13 के लिए दिनांक 25.6.2012 को जारी प्रॉस्पेक्टस में, इन शर्तों को अपनाने और पालन करने के लिए उत्तरदायी था। जो भी हो, यह ध्यान देने वाली बात है कि जिन छात्रों ने वीएलडी डिप्लोमा कोर्स के लिए प्रवेश मांगा था, वे किसी भी तरह से दोषी नहीं थे और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा जारी प्रॉस्पेक्टस के आधार पर आवेदन किया था। अन्यथा भी पशुपालन एवं डेयरी विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में दिनांक 16.1.2014 को लिए गए निर्णय तथा विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रवेश द्वारा 50% सीटें न भरे जाने की इस शर्त का उल्लंघन नहीं माना है। राज्य कोटे के छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण परिणाम होंगे। और अधिकतम आयु और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता से संबंधित न्यूनतम मानकों की शर्त को उन अपीलकर्ताओं के लिए गैर-अनुकूलित करने का आधार माना, जिन्हें वीएलडी डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष और दूसरे/अंतिम वर्ष की परीक्षा देनी थी। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपने दिनांक 16.5.2015 के आदेश में निम्नानुसार कहा है: -

"हालांकि, जो छात्र प्रतिवादी नंबर 2 विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय में वीएलडीएडी पाठ्यक्रम में बनाए गए अधिकतम आयु और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता से संबंधित न्यूनतम मानकों को पूरा करते हैं, उन्हें परीक्षाओं में बैठने की अनुमति है। और आगे उन छात्रों के परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया गया है जो पहले ही परीक्षाओं में उपस्थित हो चुके थे, बशर्ते कि वे प्रतिवादी नंबर 2- विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शैक्षिक योग्यता और आयु मानदंडों के उपरोक्त न्यूनतम मानकों को पूरा करते हों।"

(42) इन परिस्थितियों में, राज्य कोटे से भरी जाने वाली कुल सीटों में

से 50% की शर्त अपीलकर्ताओं को परीक्षाओं में शामिल न होने का आधार नहीं है। इसलिए, यह तथ्य कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने वीएलडी डिप्लोमा कोर्स की सीटों के लिए राज्य कोटे से होने वाले छात्रों के कुल प्रवेश का 50% के मानदंड का पालन नहीं किया है, इसका कोई महत्व नहीं है।

(43) महानिदेशक, पशुपालन एवं डेयरी, हरियाणा पंचकुला के पत्र दिनांक 4.4.2011 में निजी संस्थान में पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए एनओसी जारी करने के संबंध में। यह दर्ज नहीं किया गया था कि लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय में वीएलडी डिप्लोमा पाठ्यक्रम में बनाए गए अधिकतम आयु और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता से संबंधित न्यूनतम मानकों को निजी संस्थान द्वारा भी बनाए रखा जाएगा। सत्र 2011-12 के लिए 28.10.2011 को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किए गए प्रॉस्पेक्टस में वीएलडी डिप्लोमा कोर्स के लिए निम्नलिखित पूर्व-आवश्यकताएँ निर्धारित की गई थीं: -

"1.उसे मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में कुल 50% अंकों (केवल एससी/बीसी के लिए 40%) के साथ 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए।

2. आयु 31.12.2011 को 17 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।"

(44) सत्र 2012-13 के लिए 25.6.2012 को जारी प्रॉस्पेक्टस में वीएलडी डिप्लोमा कोर्स के लिए निम्नलिखित पूर्व-आवश्यकताएँ प्रदान की गई थीं: -

"1.उसे मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में कुल 50% अंकों (केवल एससी के लिए 40%) के साथ 10+2

उत्तीर्ण होना चाहिए।

2. आयु 31.12.2012 को 17 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए|

(45) ध्यान देने योग्य बात यह है कि सत्र 2011-12 में वीएलडी डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग के सदस्यों के लिए 10+2 परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक प्रदान किए गए थे; हालाँकि, सत्र 2012-13 के लिए 10+2 परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक केवल अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए प्रदान किए गए थे, न कि पिछड़े वर्गों के लिए। पशुचिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय की अन्य शर्तें वीएलडी डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए 10+2 में 50% अंक (केवल अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 40%) थीं, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के लिए भी समान हैं। यह प्रावधान है कि उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए और कुल 50% अंक (सत्र 2011-12 के लिए एससी/बीसी उम्मीदवारों के लिए 40%) होना चाहिए। हालाँकि, लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय में वीएलडी डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए मैट्रिक में अंक 65% या अधिक (केवल अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 55%) होना आवश्यक था, जो कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के प्रॉस्पेक्टस के अनुसार प्रदान नहीं किया गया था।

(46) यह भी देखा जा सकता है कि डीन, पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय द्वारा प्रधान सचिव सह वित्तीय आयुक्त, पशुपालन और डेयरी विभाग, हरियाणा को लिखे गए पत्र दिनांक 3.10.2013 में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया है उल्लेख किया गया है कि कुछ छात्रों के 10+2 परीक्षा में 55% से कम अंक थे, जो विश्वविद्यालय प्रॉस्पेक्टस में दिए गए अंकों के विपरीत था। दरअसल यूनिवर्सिटी प्रॉस्पेक्टस में, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंसेज में

वीएलडी डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवारों को 10+2 परीक्षा में 55 नहीं बल्कि 50% अंक लाने की आवश्यकता थी। इसके अलावा, दिनांक 3.10.2013 के उक्त पत्र में वास्तव में उल्लेख किया गया है कि कॉलेज यानी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के पास अब वीएलडी डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए इष्टतम ढांचागत सुविधाएं हैं, लेकिन इस पहलू पर विचार-विमर्श/विचार करने की आवश्यकता है।

(47) श्री राजबीर सहरावत, अधिवक्ता, अपीलकर्ताओं के लिए विद्वान वकील और संबंधित अपीलों में अपीलकर्ताओं के लिए उपस्थित होने वाले अन्य विद्वान वकील के अनुसार, 2015 के एलपीए नंबर 1591 में मनुप अपीलकर्ता नंबर 1 के अलावा, जो पिछड़े वर्ग से है- एक श्रेणी, सभी अपीलकर्ताओं के पास 10+2 में 50% से अधिक अंक हैं। हालाँकि, उनके पास मैट्रिक परीक्षा में 65% से अधिक अंक नहीं हो सकते हैं। मानूप के मामले में यह भी प्रस्तुत किया गया है कि वह सत्र 2011-12 के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा जारी किए गए प्रॉस्पेक्टस के अनुसार पात्र होगा, जिसके लिए उसे प्रवेश दिया गया था, अनुसूचित जाति / पिछड़ा वर्ग श्रेणी के सदस्यों के लिए आवश्यक अंक 10+2 में उनके 40% अंक थे, जबकि 10+2 परीक्षा में उनके 46% अंक थे। लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय के प्रॉस्पेक्टस की शर्तों के अनुसार, अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 10+2 अंक 40% थे, न कि पिछड़े वर्गों के लिए।

(48) अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा जारी प्रॉस्पेक्टस में मैट्रिक में 65% अंकों की आवश्यकता प्रदान नहीं की गई थी। इसके अलावा, पार्टियों का यह स्वीकृत मामला है कि मैट्रिक परीक्षा में 65% अंक होने की उक्त आवश्यकता को लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय ने बाद के वर्षों में प्रवेश के संबंध में समाप्त कर दिया है। के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए

2014-15 के प्रॉस्पेक्टस में; (1) पशु चिकित्सा और पशुधन विकास डिप्लोमा (वीएलडीडी), (2) पशु चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा (डीवीएलटी) और (3) लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय द्वारा संचालित डेयरी प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा (डीआईडीटी) के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित नुसार:-

2.10 प्रवेश परीक्षा के माध्यम से वीएलडीडी, डीवीएलटी और डीआईडीटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:

वीएलडीडी: मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम यानी कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि में 10+2। उम्मीदवारों के पास 10+2 कक्षा में 50% अंक (अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 40%) होने चाहिए। डीवीएलटी/डीआईडीटी: मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीवविज्ञान के साथ 10+2। उम्मीदवारों के पास 50% अंक (अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 40%) होने चाहिए।

(49) वीएलडी डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए मैट्रिक में 65% अंकों की शर्त वास्तव में बाद के वर्षों में समाप्त कर दी गई है। जहां तक 2015 के एलपीए नंबर 1591 में मनुप अपीलकर्ता नंबर 1 का संबंध है, उन्होंने सत्र 2011-12 के लिए प्रॉस्पेक्टस में निर्धारित शर्तों को पूरा किया, जिसके लिए उन्हें प्रवेश दिया गया था। चूँकि उसके 10+2 परीक्षा में 46% अंक थे और वह पिछड़ा वर्ग-ए श्रेणी का सदस्य है। प्रोस्पेक्टस के अनुसार अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग के लिए सत्र 2011-12 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट में वीएलडी डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश के लिए पात्रता 10+2 में 40% थी।

(50) किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के संबंध में जो प्रॉस्पेक्टस या सूचना विवरणिका जारी की गई है, उसमें कानून का बल है और प्रवेश

उसी के सख्त अनुपालन में आयोजित किए जाने हैं। प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों ने प्रॉस्पेक्टस या सूचना विवरणिका में दी गई जानकारी के आधार पर अपने अधिकारों का निर्धारण किया। प्रॉस्पेक्टस में दी गई शर्तों के विपरीत निर्देश आमतौर पर जारी नहीं किए जाने चाहिए।

(51) **परमेंदर कुमार बनाम हरियाणा राज्य में,** (2) यह माना गया कि यदि प्रॉस्पेक्टस प्रकाशित होने पर सरकारी आदेश पहले से ही लागू थे, तो उनका प्रवेश प्रक्रिया पर असर पड़ेगा, लेकिन एक बार परिणाम घोषित हो जाने के बाद। और एक चयन सूची तैयार की गई थी, काउंसलिंग शुरू होने से ठीक एक दिन पहले नियम और शर्तों में बदलाव करना राज्य सरकार के लिए खुला नहीं था, ताकि पहले से ही चयनित उम्मीदवारों को प्रवेश के अवसर से वंचित किया जा सके; इसके अलावा, अपीलकर्ताओं ने लिखित परीक्षा में अपने परिणामों के आधार पर चयनित होकर अपनी योग्यता दिखाई थी।

(52) वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता सत्र 2011-12 और 2012-13 के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान में प्रवेश के लिए वीएलडी डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए जारी किए गए प्रॉस्पेक्टस के आधार पर उक्त संस्थान द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के लिए उपस्थित हुए। इसके बाद सत्र 2011-12 के विद्यार्थियों ने प्रथम वर्ष की परीक्षा दी, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित की गई थी। लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय द्वारा 15.4.2013 को जारी हरियाणा राज्य में वीएलडी डिप्लोमा कोर्स शुरू करने के इच्छुक/पेशकश संस्थानों की संबद्धता के लिए मानदंडों, प्रक्रिया और दिशानिर्देशों से जुड़े नोट के परिणामस्वरूप। यह प्रदान किया गया था कि संबद्धता के लिए आवेदन करने वाले संस्थान द्वारा छात्रों को दिए गए आंतरिक मूल्यांकन को छात्रों द्वारा पाठ्यक्रम के सफल समापन के लिए मान्यता दी जा सकती है। ऐसे संबद्ध संस्थानों के सभी छात्रों को

डिप्लोमा पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रथम और द्वितीय वर्ष की वार्षिक परीक्षाओं में शामिल होना होगा और उत्तीर्ण करना होगा। 2011-12 सत्र के अपीलकर्ता लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रथम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुए। विश्वविद्यालय ने उन्हें रोल नंबर जारी किए और इस बात पर कोई आपत्ति नहीं जताई कि अपीलकर्ता इस आधार पर प्रवेश के लिए अयोग्य थे कि उनके पास मैट्रिक परीक्षा में न्यूनतम 65% अंक नहीं थे।

(53) **श्री कृष्ण बनाम द कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरूक्षेत्र** (3) मामले में सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने कहा कि एक बार उम्मीदवार को सही या गलत तरीके से परीक्षा देने की अनुमति दी जाती है। फिर वह क़ानून जो विश्वविद्यालय को आवेदक की उम्मीदवारी वापस लेने का अधिकार देता है, अपने आप काम कर गया है और उम्मीदवार को बाद में किसी भी कमजोरी के लिए प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता है, जिसे उम्मीदवार को उपस्थित होने की अनुमति देने से पहले देखा जाना चाहिए था।

(54) **सनातन गौड़ा बनाम बरहामपुर विश्वविद्यालय और अन्य** (4) में उम्मीदवार ने लॉ कॉलेज में अपना प्रवेश सुरक्षित कर लिया। उन्होंने प्रवेश के लिए आवेदन के साथ अपनी मार्कशीट भी जमा की थी। लॉ कॉलेज ने उन्हें दाखिला दे दिया और उन्होंने दो साल तक पढ़ाई की। विश्वविद्यालय ने उन्हें प्री-लॉ और इंटरमीडिएट लॉ परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र भी प्रदान किया। उन्हें उक्त परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई और पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में प्रवेश भी दिया गया। प्री-लॉ और इंटर-लॉ परीक्षाओं के उनके परिणामों की घोषणा के चरण में ही विश्वविद्यालय ने लॉ पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उनकी तथाकथित अयोग्यता पर आपत्ति जताई। यह माना गया कि विश्वविद्यालय को अपीलकर्ता की परीक्षा के परिणाम

घोषित करने से इनकार करने या उसे अपने अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने से रोकने से स्पष्ट रूप से रोका गया था। यह दलील कि प्रिंसिपल ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों को गलत आश्वासन दिया था कि उन्होंने पद का सत्यापन कर लिया है और सभी उम्मीदवार पात्र हैं, मान्य नहीं है। यह देखा गया कि प्रश्नगत परीक्षा के लिए अपीलकर्ता की उम्मीदवारी की सिफारिश करने के लिए प्रिंसिपल की निंदा नहीं की जा सकती। यह विश्वविद्यालय का परम कर्तव्य था, जिसने अपीलकर्ता को परीक्षा में बैठने की अनुमति देने से पहले मामले की पूरी तरह से जांच की थी और ऐसा नहीं करने पर वह उसके परिणाम प्रकाशित करने से इनकार नहीं कर सकता था।

(55) **गुरु नानक देव विश्वविद्यालय बनाम संजय कुमार कटवाल** (5) उक्त मामले में प्रतिवादी को एक सामान्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से तीन साल के एलएलबी पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया था और पहले सेमेस्टर की परीक्षा देने की अनुमति दी गई थी। वह किसी भी तथ्य को दबाने या गलत तरीके से पेश करने का दोषी नहीं था। अपीलकर्ता विश्वविद्यालय के साथ इस बात को लेकर कुछ भ्रम था कि प्रतिवादी के पास मौजूद डिग्री अपीलकर्ता द्वारा मान्यता प्राप्त है या नहीं। प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा देने के बाद ही प्रतिवादी को सूचित किया गया कि वह पात्र नहीं है। हालाँकि, उन्हें पाठ्यक्रम जारी रखने और पूरा करने की अनुमति दी गई थी। वह इस न्यायालय के समक्ष सफल हो गया था और यह माना गया था कि अब चार साल की समाप्ति के बाद, उसे प्रवेश के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता है।

(56) इसलिए, जब अपीलकर्ता लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय द्वारा आयोजित वीएलडी डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुए, तो यह विश्वविद्यालय का बाध्य कर्तव्य था जैसा कि सनातन गौड़ा के

मामले (सुप्रा) में आयोजित किया गया था। उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति देने से पहले पात्रता मानदंडों की पूरी तरह से जांच करें और ऐसा नहीं करने पर अब यह कहना बंद कर दिया जाएगा कि वे अयोग्य थे। 2015 के एलपीए नंबर 1591 में मनोप अपीलकर्ता नंबर 1, 2011-12 प्रॉस्पेक्टस के अनुसार आवश्यक आवश्यकता होने पर भी पात्र होगा।

(57) **चौधरी नवीन हेमाभाई और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य** (6) में अपीलकर्ताओं ने राज्य नियम, 2008 की धारा 12 के तहत जारी अधिसूचना के अनुसार भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीवविज्ञान में योग्यता परीक्षा में 40% अंक हासिल किए थे। अपीलकर्ता 2008-2009 के लिए गुजरात के लिए आयोजित कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में भी उपस्थित हुए, लेकिन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीवविज्ञान में 40% से कम अंक प्राप्त किए। जैसे ही उन्हें कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में मेरिट सूची में रखा गया, उन्हें प्रमुखस्वामी मेडिकल कॉलेज, करमसद में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया। उक्त कॉलेज से जानकारी एकत्र करने के बाद, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने सात अपीलकर्ताओं और एक अन्य छात्र को छुट्टी देने के लिए कॉलेज को दिनांक 10.2.2009 को एक संचार भेजा। चूंकि उन्होंने सामान्य प्रवेश परीक्षा में भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में 40% से कम अंक हासिल किए थे और एमसीआई दिशानिर्देशों के अनुसार एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र नहीं थे। राज्य सरकार की प्रवेश समिति ने एमसीआई के आग्रह पर अपीलकर्ताओं के प्रवेश रद्द कर दिए। माननीय सर्वोच्च ने इस प्रकार कहा:-

वर्तमान मामले के तथ्यों में, हमने पाया है कि एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए अपीलकर्ताओं को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है और गलती पूरी तरह से 2008 के नियमों को बनाने में नियम बनाने वाले प्राधिकारी की थी और अपीलकर्ताओं ने

इस पर अमल किया है। सामान्य प्रवेश परीक्षा में उपस्थित होने की पीड़ा और उनकी योग्यता के आधार पर चयन किया गया है और राज्य नियम, 2008 के अनुसार कॉलेज में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है और एक वर्ष तक अपनी पढ़ाई की है। इसलिए, भले ही एमसीआई विनियमों के तहत अपीलकर्ता शैक्षणिक वर्ष 2008-2009 में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र नहीं थे, हमारे सामने आए मामले में पूर्ण न्याय करने के उद्देश्य से। हम निर्देश देते हैं कि शैक्षणिक वर्ष 2008-2009 के दौरान कॉलेज में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में अपीलकर्ताओं के प्रवेश में बाधा नहीं डाली जाएगी। हालाँकि, इस निर्देश को एक मिसाल के रूप में नहीं माना जाएगा।"

(58) विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा संदर्भित महात्मा गांधी विश्वविद्यालय और अन्य बनाम जीआईएस जोस और अन्य (सुप्रा) के मामले में, उक्त मामले में प्रतिवादी के पास विश्वविद्यालय विनियमन के अनुसार पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए बुनियादी योग्यता का अभाव था। प्रतिवादी गिस जोस को एम.एससी कंप्यूटर साइंस पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया था और उसने कट ऑफ अंकों की न्यूनतम आवश्यकता के मुकाबले अपनी योग्यता परीक्षा में 53.3% अंक प्राप्त किए, जो विश्वविद्यालय द्वारा 55% निर्धारित किया गया था। उक्त तथ्य को पूरी तरह से खारिज करते हुए, छात्र को प्रवेश दिया गया। यह बताया गया कि अप्रैल और जुलाई, 2004 में आयोजित प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा के लिए छात्रों का आवेदन पहले ही इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि छात्र ने केवल 53% अंक प्राप्त किए थे और उसका प्रवेश प्रवेश नियमों का उल्लंघन था। विश्वविद्यालय और फिर भी प्राचार्य ने छात्रा को पाठ्यक्रम पूरा करने और परीक्षा देने के लिए एमएससी कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दे दी थी। उक्त परिस्थितियों में यह था कि प्रवेश पाने के लिए बुनियादी योग्यता की कमी के कारण उक्त मामले में छात्र अनुपयुक्त था।

(59) वर्तमान मामले में, 2015 के एलपीए नंबर 1591 में मनूप अपीलकर्ता नंबर 1 को छोड़कर, अपीलकर्ताओं के पास न्यूनतम बुनियादी योग्यता है यानी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में 10+2 में 50% अंक, जो कि है लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय द्वारा निर्धारित योग्यता भी। मनूप, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, पिछड़ा वर्ग-ए श्रेणी का सदस्य है और उसके 46% अंक थे, जो अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग की श्रेणी के लिए प्रॉस्पेक्टस में दिए गए 10+2 परीक्षा में 40% से अधिक अंक थे। हालाँकि, उनके पास मैट्रिक परीक्षा में न्यूनतम 65% अंक नहीं हो सकते हैं, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय द्वारा बाद के वर्षों में वीएलडी डिप्लोमा कोर्स के लिए सत्र 2014-15 के लिए जारी किए गए अपने प्रॉस्पेक्टस के तहत इसे भी हटा दिया गया है। इसलिए, यदि मैट्रिक में 65% से कम अंक वाले उम्मीदवार बाद के वर्षों में वीएलडी डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश के लिए पात्र हैं, तो हमें कोई कारण नहीं दिखता कि उन्हें प्रश्नगत वर्षों यानी सत्र 2011- 12 और 2012-13 के लिए इतना पात्र क्यों नहीं माना जाना चाहिए।

(60) अपीलकर्ता जो वीएलडी डिप्लोमा कोर्स के लिए क्रमशः प्रथम वर्ष और दूसरे वर्ष में उपस्थित हुए हैं, वे अपने प्रवेश के आधार पर क्रमशः वीएलडी डिप्लोमा कोर्स के पहले वर्ष और दूसरे/अंतिम वर्ष के परिणाम घोषित करने के हकदार हैं। सत्र 2011-12 के लिए 28.10.2011 को अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा जारी प्रॉस्पेक्टस और 2012-13 के बाद के सत्र के लिए 25.6.2012 को जारी प्रॉस्पेक्टस में प्रदान की गई पात्रता शर्तों के आधार पर। लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय अपीलकर्ताओं के परिणाम घोषित करने से पहले यह सुनिश्चित और सत्यापित करेगा कि ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं है जो सत्र 2011-12 और 2012-13 के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा जारी प्रॉस्पेक्टस में प्रदान की गई शर्तों को पूरा नहीं करता

है। .और यदि कोई अपीलकर्ता है तो उसका परिणाम घोषित करने योग्य नहीं है। परिणाम संकलित करने की कवायद की जाएगी और लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय द्वारा परिणाम घोषित किया जाएगा क्योंकि अपीलकर्ताओं की रिट याचिका खारिज होने के कारण इसे रोक दिया गया था।

(61) अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि अपील की अनुमति देने वाले संक्षिप्त आदेश की प्रति उन्हें दी जा सकती है क्योंकि उन्हें पशु चिकित्सा और पशुधन विकास सहायक के पदों के लिए आवेदन करना है, जो कि विज्ञापित किया गया है और आवेदन करने की अंतिम तिथि निकट आ रहा है|

(62) उपरोक्त कारणों से, एलपीए की अनुमति है। विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 16.5.2015 के आदेश को निरस्त किया जाता है। सभी अपीलकर्ता, जिन्होंने पशु चिकित्सा और पशुधन विकास डिप्लोमा कोर्स (वीएलडी डिप्लोमा कोर्स) में प्रवेश के लिए मानदंडों को पूरा किया, यानी, उनके 10+2 परीक्षाओं में 50% और अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग के सदस्यों के लिए 40% थे सत्र 2011-12 के लिए । वे अपने परिणाम घोषित करने के हकदार होंगे और वीएलडी डिप्लोमा कोर्स के दूसरे वर्ष के छात्र यदि परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं, तो वे पशु चिकित्सा और पशुधन विकास सहायक के पद के लिए आवेदन करने के हकदार होंगे, जिसके लिए विज्ञापन दिया जा चुका है और अंतिम तिथि आ रही है। इसके अलावा, सत्र 2012-13 के वीएलडी डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के छात्र यदि प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, तो वे उक्त पाठ्यक्रम के दूसरे/अंतिम वर्ष में प्रवेश के हकदार होंगे और दूसरे वर्ष की परीक्षा में शामिल होंगे। बशर्ते कि वे व्याख्यान आदि की अन्य शर्तें पूरी करते हों।

(63) चूंकि उनकी पात्रता के सत्यापन के बाद परिणाम की घोषणा में समय लग सकता है, जो उम्मीदवार दूसरे वर्ष की परीक्षा में

उपस्थित हुए हैं, वे विज्ञापित पदों के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। हालाँकि, पद पर नियुक्ति के लिए उनका विचार उनके वीएलडी डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण करने के अधीन होगा। लागत के रूप में कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

1. 2009 (1) आरएसजे 438
2. (2012) 1 एससीसी 177
3. एआईआर 1976 एससी 376
4. एआईआर 1990 एससी 1075
5. (2009) 1 एससीसी 610
6. 2011 (2) एससीटी 324 (एससी)

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

Checked By:

Sakshi Gupta

Trainee Judicial Officer

Chandigarh Judicial Academy